

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकतीस'

[21/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 3860]

विधानसभा अतासकित विधान सभा प्रश्न क्रमांक - 3860 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक पं. रमेश दुबे (प्रपत्र-अ)
विधानसभा क्षेत्र फरवरी-मार्च 2018 बैठक दिनांक 21.03.2018
विधानसभा क्षेत्र चौरई के विकासखंड विछुआ एवं चौरई के ग्रामों से विगत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.	शिकायत प्राप्त होने का स्रोत	विद्युत तार नीचे होने/आवागमन मार्ग अवरूद्ध होने बाबत		विद्युत तार लूज होने बाबत		तार बार-बार टूटने बाबत		विद्युत पोल टेढ़े होने/टूटने बाबत		तार टकराने से फसल जलने बाबत		कुल शिकायत	
		प्राप्त	निराकृत	प्राप्त	निराकृत	प्राप्त	निराकृत	प्राप्त	निराकृत	प्राप्त	निराकृत	प्राप्त	निराकृत
1	मान, विधायक महोदय के माध्यम से प्राप्त	2	2	2	2	0	0	2	2	1	1	7	7
2	सी.एम. हेल्प लाईन के माध्यम से प्राप्त	20	20	25	25	3	3	48	48	0	0	96	96
3	बिजली पंचायत के माध्यम से प्राप्त	15	15	18	18	5	5	29	29	0	0	67	67
4	उपभोक्ताओं के द्वारा	8	8	11	11	3	3	18	18	0	0	40	40
5	शिकायत निवारण शिबिरों / समाचार पत्रों इत्यादि के माध्यम से प्राप्त	11	11	17	17	8	8	12	12	6	6	54	54
	कुल योग	56	56	73	73	19	19	109	109	7	7	264	264

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विधानसभा क्षेत्र-चौरई
परिशिष्ट 'इकतीस'

विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च 2018 बैठक दिनांक 21.03.2017

(प्रपत्र-ब)

विधानसभा असाधारण प्रश्न क्रमांक 3860 प्रत्यक्षता गान्धीय विधायक पं. रमेश दुबे

विकासखण्ड चौरई एवं विछुआ क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 3 वर्षों में प्राणश में आयी शिकायतों का विवरण

क्र.	शिकायत कहां से / किस से प्राप्त हुई	पत्र क्र एवं दिनांक	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण	अनगत कराये जाने का संदर्भ
1	मा. पं. रमेश दुबे, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, चौरई	323 दि. 04.04.2015	अवागमन मार्ग पर स्थापित विद्युत पोल हटवाये जाने के संबंध में	ग्राम उन्मोचनार्थी में सक्षम पोल के आवास के समीप स्थापित पोल का अन्वय स्थापित करने हेतु डिमांड नोटिस दिया गया था। पुरतान न होने के कारण कार्य नहीं किया जा सका।	कार्यपालन अभियंता, अमरवाड़ा का पत्र क्रमांक 913-14 दिनांक 21.06.2015
2	मा. पं. रमेश दुबे, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, चौरई	420 दि. 14.04.2015	ग्राम सांख में विद्युत गये बेतरतीब विद्युत तार को व्यवस्थित किये जाने के संबंध में	ग्राम सांख में सड़क मार्ग में विछाड़े गए बेतरतीब विद्युत तारों को दिनांक 24.04.2015 को व्यवस्थित कर दिया गया है।	कार्यपालन अभियंता, अमरवाड़ा का पत्र क्रमांक 396-97 दिनांक 30.04.2015
3	मा. पं. रमेश दुबे, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, चौरई	1816 दि. 14.11.2015	शक्तिप्रस्त विद्युत ट्रांसफार्मर व विद्युत तार को सार्वजनिक आवागमन मार्ग से हटाकर विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किये जाने के संबंध में (ग्राम खुटिया एवं राजलवाड़ी)	ग्राम खुटिया एवं राजलवाड़ी का वर्तमान में विद्युत ट्रांसफार्मर चालू है। कुलत तारों को व्यवस्थित कर दिया गया है।	कार्यपालन अभियंता, अमरवाड़ा का पत्र क्रमांक 895-96 दिनांक 21.06.2016
4	मा. पं. रमेश दुबे, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, चौरई	1721 दि. 21.11.2016	शक्तिप्रस्त विद्युत पोल हटाकर नवीन पोल स्थापित किये जाने के संबंध में। (ग्राम चंदिकापुर 06 नंग पोल)	ग्राम चंदिकापुर के शक्तिप्रस्त 06 नंग विद्युत पोल हटाकर नवीन पोल स्थापित कर दिये गए हैं।	अधीक्षक अभियंता, छिन्दवाड़ा का पत्र क्रमांक 8017 दिनांक 01.03.2018
5	मा. पं. रमेश दुबे, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, चौरई	1904 दि. 20.12.2016	विद्युत प्रवाहित तार व्यवस्थित किये जाने के संबंध में। (ग्राम बदलीपार से तेदनी)	ग्राम पंचायत बदलीपार से तेदनी तक प्रदान मंत्री सड़क योजना से निर्मित मार्ग पर लगे विद्युत तारों को ऊचाई बढ़ा दी गई है।	अधीक्षक अभियंता, छिन्दवाड़ा का पत्र क्रमांक 8041 दिनांक 17.02.2017
6	मान. विधायक, 300 श्री रमेश दुबे चौरई	444 दि. 11.04.2017	विद्युत तार लूज होने के कारण तेज हवा के चलते टक्करने से किसानों की फसलों में आग लगने के संबंध में (ग्राम विखलीपुर, देवरीमाल, कुकरई, विजयकला एवं लोहार)	ग्राम विखलीपुर, देवरीमाल, कुकरई, विजयकला एवं लोहार के लूज विद्युत तारों तथा टेढ़े पोलों को ठीक कर दिया गया है।	अधीक्षक अभियंता, छिन्दवाड़ा का पत्र क्रमांक 8018 दिनांक 01.03.2018
7	मान. प. रमेश दुबे विधायक चौरई	498 दि. 22.04.2017	विद्युत प्रवाहित तारों एवं विद्युत खम्बों के संभारण विषय (ग्राम तिलवाड़ी)	ग्राम तिलवाड़ी के अत्यवस्थित तारों एवं झुके हुए खम्बों को दिनांक 10.05.2017 को व्यवस्थित कर दिया गया है।	कार्यपालन अभियंता, अमरवाड़ा का पत्र क्रमांक 4283-84 दिनांक 03.03.2018
8	मान. श्री प. रमेश दुबे विधायक, चौरई	675 दि. 25.05.2017	विकासखण्ड विछुआ के ग्राम चौचगाव निवासी श्रीमति समोरा पति जेलन के आवास के समीप स्थित ट्रांसफार्मर आबादी से हटकर अन्वय स्थापित किये जाने विषयक	ट्रांसफार्मर 30 फिट की दूरी पर स्थापित है एवं उचित ट्रांसफार्मर को हटाना अथवा स्थानांतरित करना संभव नहीं है।	अधीक्षक अभियंता, छिन्दवाड़ा का पत्र क्रमांक 8016 दिनांक 01.03.2018
9	ग्राम उदय से नारत उदय विधान के दौरान दिनांक 20.04.2017 को ग्राम पंचायत विखली एवं पिपरिया मानसिंह में मान. पं. श्री रमेश दुबे जी, विधायक चौरई की उपस्थिति में आयोजित ग्राम ससद में दी गई टीप अनुसार	493 दि. 21.04.2017	ग्राम विखली तथा आसपास अन्य ग्रामों में विद्युत तार कापी नीचे हैं ट्राक्टर एवं बैगाड़ी से किसान अपनी फसलों अथवा अन्य सामग्री नहीं ले जा पाते हैं। तार लूज होने, पुराने होने एवं विद्युत पोल टेढ़े होने से तार अपघ्न में टकराते हैं।	लूज तारों एवं टेढ़े विद्युत पोलों को सीधा कर शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।	कार्यपालन अभियंता, अमरवाड़ा का पत्र क्रमांक 346 दिनांक 01.05.2017

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

अनुमान अधिकारी

✓

(हस्ताक्षर)